



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20062020-220063
CG-DL-E-20062020-220063

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1758]
No.1758]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 19, 2020/ज्येष्ठ 29, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 19, 2020/JYAISHTHA 29, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 2020

का.आ. 1976(अ).—जबकि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा, S.O. 2306 (अ) दिनांक 1 जुलाई 2019, भारत के राजपत्र में प्रकाशित, असाधारण, भाग II, धारा 3, उप-धारा (ii) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 क की उपधारा (1) के तहत (बाद में उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित), केंद्र सरकार ने अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि को अधिग्रहित करने के अपने इरादे की घोषणा की कर्नाटक के राज्य में रायचूर जिले में किलोमीटर 179.50 से किलोमीटर 182.200 तक पुल पर किलोमीटर 180.865 (हागरी-जेदेरकेला सेक्शन) में भूमि के खिंचाव पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 167 के रखरखाव प्रबंधन और निर्माण (चौड़ीकरण, चौपाई, आदि) के लिए अधिसूचना और जबकि उक्त अधिसूचना का पदार्थ "विजयवाणी" और "इंडियन एक्सप्रेस" दोनों में दिनांक १४-नवंबर -२०१९ में प्रकाशित हुआ है; उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा (3); और जबकि कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है और उसी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा माना और अस्वीकृत किया गया है;

और जबकि, उक्त अधिनियम की धारा 3 डी की उपधारा (1) के अनुपालन में, सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी है;

अब, इसलिए, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने और उक्त अधिनियम की धारा 3 डी की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग पर, केंद्र सरकार ने घोषणा की कि उक्त अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त उद्देश्य के लिए अधिग्रहण किया जाना चाहिए;

और आगे, उक्त अधिनियम की धारा 3 डी की उपधारा (2) के अनुसरण में, केंद्र सरकार ने घोषणा की कि आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि केंद्र सरकार में बिल्कुल निहित होगी, सभी एन्कम्ब्रेन्स से मुक्त।

अनुसूची

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या -167 पर कर्नाटक की भूमि के किलोमीटर 179.50 से किलोमीटर 182.200 तक पुल पर किलोमीटर 180.865 (हागरी-जेदेरकेला सेक्शन) में भूमि के भीतर गिरने के बिना या बिना संरचना के अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: कर्नाटक		जिले का नाम: रायचूर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: रायचूर				
	गांव का नाम: डोसुगुर				
1	505	निजी	ड्राई	0.3812	बडेप्पा S/O जंबाणा अगसरु, प्रसाद राजू S/O सत्या नारायणा, स हरिबाबू S/O अँजेनेयराजु, म तुलसी W/O राम मोहन राजू, क सुधा W/O क (५०५/३, ५०५/४, ५०५/६, ५०५/१३)
2	506	निजी	ड्राई	0.7649	सुगप्पा S/O हनुमंता मयत्री, शरणाममा W/O कलिका, उलुगप्पा S/O थैयाप्पा, कर्नाटक पावर कारपोरेशन, स्टेट हाइवे के लिए लैंड एक्वायर्ड ()
3	507	निजी	ड्राई	0.6068	महामोध सिराजुद्दीन S/O शरफुद्दीन, शमशुद्दीन S/O शरफुद्दीन, ताजुद्दीन S/O शरफुद्दीन, केंद्रीय जल मिशन के लिए अधिग्रहित भूमि ()

4	510	निजी	ड्राई	0.606	जोगप्पा , सुन्न , सूराममा ()
			कुल	2.3589	

[फा.सं.-12014/Karnataka(13/2016-S&R(B)/3D1]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th June, 2020

S.O. 1976(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O.2306(E)dated 1st July 2019 , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (Widening/ four-laning,etc) maintenance management and operation of NH167 on the stretch of land from Km 179.50 to Km 182.200 for Bridge at Km 180.865 (Hagari-jadecherela Section) in the district of RAICHUR in the state of KARNATAKA

And whereas the substance of the said notification has been published in “Vijayavani” and “Indian Express ” both dated 14-Nov-2019; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km 179.50 to Km 182.200 for Bridge at Km 180.865 (Hagari-jadecherela Section) on the National Highway No-167 in the state of KARNATAKA

State: KARNATAKA		District: RAICHUR			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Raichur				
	Village: Deosugur				
1	505	Private	Dry	0.3812	Badeppa S / o Jambanna Agasaru , Prasadh Raju S / o Sathya Narayana ,S Haribabu S / o Anjeneyaraju , M

					Thulasi W / o Ram mohan raju , K Sudha W / o K Madhu 505 / 3 , 505 / 4 , 505/ 6 , 505 /13
2	506	Private	Dry	0.7649	Soogappa S / o Hanumantha Myathri , Sharanamma W / O Kalika , Ulugappa S / O Thayappa , Karnataka Power Corporation ,
3	507	Private	Dry	0.6068	Mahamad Sirajudin S / o Sharufuddin, Shamshuddin S/ o Sharifuddin , Taj uddin S/o Sharifuddin , Land Acquired central Water Mission
4	510	Private	Dry	0.606	Jogeppa, Sugya, Sooramma
			TOTAL	2.3589	

[F. No.NH-12014/Karnataka(13/2016-S&R(B)/3D1]

RAJESH GUPTA, Under Secy.